कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001
email-jdanic-jod-rj@nic.in वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक/बैठक/2022/1691 दिनांक :: 07 सितम्बर, 2022

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक श्री अवधेश मीणा, आई.ए.एस., आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में दिनांक 30 सितम्बर, 2022 को मध्यान्ह पूर्व 11.00 बजे आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित सदस्य/अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 16 सितम्बर 2022 मे लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

गत बैठक दिनांक **16 सितम्बर 2022** का कार्यकारी समिति विवरण जारी किया जाकर सभी को प्रेषित किया जा चुका है। अतः कार्यकारी समिति की गत बैठक **16 सितम्बर 2022** का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 16 सितम्बर, 2022 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि करते हुए जारी कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: नवीन व्यवसायिक योजना खसरा संख्या 701 ग्राम चौखा के संबंध में।

क. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	नवीन व्यावसायिक योजना खसरा संख्या 701 ग्राम चौखा की आरक्षित दर व नामकरण सक्षम स्वीकृति/अनुमोदनार्थ हेतु अभिशंषा की जाती हैं

ले–आउट प्लान दिनांक 23/03/2022 के एजेण्डा संख्या 07 अनुसार ले–आउट प्लान स्वीकृत किया गया। नगरीय विकास विभाग द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों एवं राजस्थान (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत नवीन आरक्षित दरों के निर्धारण हेतु सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 22/09/2022 को आयोजित की गई। जोन वार सम्बन्धित क्षेत्र की भूमियों की प्रचलित वर्तमान डी.एल.सी. दर वास्तविक बाजार दर एवं अन्य नगरीय विकास संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आरक्षित दर निर्धारण समिति के निर्णय अनुसार योजना की आरक्षित दर 25290/– रूपये प्रति वर्गमीटर अनुमोदित की गई है। योजना में विभिन्न माप के कुल 90 व्यवसायिक भूखण्ड है।

ग्राम चौखा के खसरा संख्या 701 में कुल क्षेत्रफल 10 बीघा 08 बिस्वा भूमि का व्यवसायिक योजना लांच की जानी है। जिसमें भूखण्डों का आवंटन निलामी द्वारा किया जाना है। उक्त योजना की आरक्षित दर 25290/– रूपये प्रति वर्गमीटर एवं उक्त योजना का नामकरण चौखा व्यावसायिक योजना किया जाने की सक्षम स्वीकृति/अनुमोदनार्थ हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में वास्ते निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 :: राजकीय महाविद्यालय बावड़ी के खसरा नम्बर 806/1 ग्राम बावड़ी अतिरिक्त भूमि आवंटन के संबंध में।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	राजकीय महाविद्यालय बावड़ी के खसरा नम्बर 806/1 ग्राम बावड़ी अतिरिक्त भूमि आवंटन के संबंध में।	राजकीय महाविद्यालय बावड़ी के खसरा नम्बर 806/1 ग्राम बावड़ी अतिरिक्त भूमि आवंटन हेतु।

प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय बावड़ी द्वारा दिनांक 23.7.2022 को प्रपत्र स में आवेदन कर राजकीय महाविद्यालय बावड़ी जोधपुर के खसरा संख्या 806/1 ग्राम बावड़ी में से 35 बीघा भूमि का आवंटन की मांग की है।

पटवारी मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम बावड़ी के खसरा संख्या 806/1 रकबा 48.17 बीघा किस्म गै.मु. गौचर जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम दर्ज है। पूर्व में राजकीय महाविद्यालय बावड़ी को 10000 व.मी. भूमि आंवटित की जा चुकी है। उक्त भूमि बावड़ी से केलावा जानी वाली सड़क पर स्थित है। उक्त भूमि मे से पक्का रास्ता भी चल रहा है तथा 3–4 कच्चे बाड़े भी बने हुए है।

विधि शाखा की रिपोर्ट दिनांक 13.9.2022 के अनुसार कोई वाद लम्बित नही है। निदेशक आयोजना रिपोर्ट दिनांक 28.9.2022 के द्वारा उक्त भूमि का भू–उपयोग Highway corridor zone - U3 में आरक्षित है। नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 3.6.2022 अनुसार राजकीय शैक्षिणक उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 जोनल डवलपमेंट प्लान के **Park, Open spaces, eco sensitive zone, plantation belt & ecological zone etc.** क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी भू–उपयोगों में अनुज्ञेय है। आम सूचना का प्रकाशन दिनांक 29.9.2022 को करवाया गया है।

अतः राजस्कीय महाविद्यालय बावडी को अतिरिक्त भूमि हेतु खसरा संख्या 806/1 ग्राम बावड़ी में रकबा 35 बीघा भूमि अतिरिक्त आवंटन के संबंध में प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में वास्ते निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तावानुसार अतिरिक्त भूमि आवंटन के संबंध में संपूर्ण तथ्यों का समावेश करते हुए अतिरिक्त भूमि आवंटित किये जाने के औचित्य सहित प्रकरण राज्य सरकार को कार्यकारी समिति की अतिरिक्त भूमि आवंटन किये जाने की अभिशंषा के साथ प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 :: राजस्व ग्राम सुबदण्ड के खसरा संख्या 178 किस्म गै.मु. गोचर में सार्वजनिक समाधी घाट (श्मशान) प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम सुबदण्ड के खसरा संख्या 178 किस्म गै.मु. गोचर में सार्वजनिक समाधी घाट (श्मशान) प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

विकास अधिकारी, पंचायत समिति–लूणी, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम सुबदण्ड के खसरा संख्या 178 रकबा 290.18 बीघा किस्म गै.मु. गोचर में से **सार्वजनिक समाधी घाट (श्मशान)** प्रयोजनार्थ 03 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

जोन राजस्व टीम की मौका जांच कर निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम सुबदण्ड के खसरा संख्या 178 रकबा 290.18 बीघा किस्म गै.मु. गोचर राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर प्रस्तावित भूमि रिक्त है। प्रस्तावित भूमि पर एक पुरानी समाधी बनी हुई है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 178 ग्राम सुबदण्ड का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 अनुसार ग्रामीण एरिया में स्थित है। मास्टर प्लान की रिपोर्ट बिन्दु संख्या 5.6.5 श्मशान व कब्रिस्तान ग्रामीण एरिया में उपयुक्त स्थलों का चयन कर स्थापित किये जा सकेगें।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा सख्या 178 ग्राम सुबदण्ड की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र कमांक 1479 दिनांक 28.09.2022 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है।

भूमि आवंटन नीति–2015 के अनुसार श्मशान प्रयोजनार्थ संभागीय मुख्यालय पर 3000 वर्गमीटर भूमि एवं संभागीय मुख्यालय को छोड़कर अन्यत्र स्थानों पर 4000 वर्गमीटर भूमि आवंटन के प्रावधान है।

अतः प्रकरण राजस्व ग्राम सुबदण्ड के खसरा संख्या 178 रकबा 290.18 बीघा किस्म गै.मु. गोचर में से **सार्वजनिक समाधी घाट (श्मशान)** प्रयोजनार्थ 03 बीघा निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से **राजस्व ग्राम सुबदण्ड के खसरा संख्या 178 रकबा 290.18 बीघा किस्म गै.मु. गोचर में से सार्वजनिक समाधी घाट (श्मशान) प्रयोजनार्थ 2000 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क भूमि आवंटन** किये जाने की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को निःशुल्क भूमि आवंटन की सक्षम स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 :: **राजस्व ग्राम सिणली के खसरा संख्या 81 किस्म गै.मु. गोचर में सार्वजनिक श्मशान प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।**

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम सिणली के खसरा संख्या 81 किस्म गै.मु. गोचर में सार्वजनिक श्मशान प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

विकास अधिकारी, पंचायत समिति–लूणी, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम सिणली के खसरा संख्या 81 रकबा 48.2627 हैक्टेयर किस्म गै.मु. गोचर में से **सार्वजनिक श्मशान** प्रयोजनार्थ 05 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

जोन राजस्व टीम की मौका जांच कर निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम सिणली के खसरा संख्या 81 रकबा 48.2627 हैक्टेयर किस्म गै.मु. गोचर राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर प्रस्तावित भूमि श्मशान प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जा रही है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 81 ग्राम सिणली का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 अनुसार ग्रामीण एरिया में स्थित है। मास्टर प्लान की रिपोर्ट बिन्दु संख्या 5.6.5 श्मशान व कब्रिस्तान ग्रामीण एरिया में उपयुक्त स्थलों का चयन कर स्थापित किये जा सकेगें।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा सख्या 81 ग्राम सिणली की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र कमांक 1498 दिनांक 28.09.2022 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है।

भूमि आवंटन नीति–2015 के अनुसार श्मशान प्रयोजनार्थ संभागीय मुख्यालय पर 3000 वर्गमीटर भूमि एवं संभागीय मुख्यालय को छोड़कर अन्यत्र स्थानों पर 4000 वर्गमीटर भूमि आवंटन के प्रावधान है। अतः प्रकरण राजस्व ग्राम सिणली के खसरा संख्या 81 रकबा 48.2627 हैक्टेयर किस्म गै.मु. गोचर में से **सार्वजनिक श्मशान** प्रयोजनार्थ 05 बीघा निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से **राजस्व ग्राम सिणली के खसरा संख्या 81 रकबा 48. 2627 हैक्टेयर किस्म गै.मु. गोचर में से सार्वजनिक श्मशान प्रयोजनार्थ 2000 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क भूमि आवंटन** किये जाने की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को निःशुल्क भूमि आवंटन की सक्षम स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 :: **राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 90 किस्म गै.मु. गोचर में उप जिला चिकित्सालय प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।**

क. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम गुड़ा विश्नोईयान् के खसरा संख्या 600 किस्म गै.मु. गोचर में उप जिला चिकित्सालय प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

संयुक्त निदेशक, पशु पालन विभाग, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप **'प्रपत्र–स'** में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 90 में से **उप जिला चिकित्सालय** प्रयोजनार्थ 30 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

जोन राजस्व टीम की मौका जांच कर निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 90 राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि खाली है। हल्का पटवारी द्वारा जारी जमाबंदी में मूल नं. 90 ही है। जबकि जमाबंदी अनुसार खसरा संख्या 90 से टूट कर खसरा संख्या 90/11, 90/12, 90/9, 90/10, 90/5, 90/7, 90/6, 90/8, 90/13 व 90/14 दर्ज है। जिसका कुल रकबा 92.16.14 बीघा है। राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 90 ग्राम सालावास का भू–उपयोग मास्टर प्लान–2031 अनुसार वर्तमान में सालावास एस.टी.पी. सिवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट के उत्तर दिशा में स्थित पब्लिक यूटिलिटी में स्थित है व जोनल डवलपमेन्ट प्लान की 24 मीटर सड़क से प्रभावित है। मास्टर डवलपमेन्ट प्लान रिपोर्ट में पब्लिक यूटिलिटी की पृथक से डीसीआर उपलब्ध नहीं है व पब्लिक/सेमी पब्लिक उपयोग की डीसीआर के अंतर्गत गर्वमेन्ट/पब्लिक यूटिलिटीज को परमिशेबल ऑन ऑल रोड़ दर्शाया गया है। प्रकरण में अस्पताल हेतु आवंटन चाहा गया है। जिसके संबंध में आस–पास औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण निर्णय लिया जाना उचित होगा।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा सख्ंया 90 ग्राम सालावास की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 1499 दिनांक 28.09.2022 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है।

भूमि आवंटन नीति–2015 के अनुसार छोटे अस्पतालों (25–50 बैड) प्रयोजनार्थ संभागीय मुख्यालय पर 3000 वर्गमीटर भूमि एवं संभागीय मुख्यालय को छोड़कर अन्यत्र स्थानों पर 4500 वर्गमीटर भूमि आवंटन के प्रावधान है। बड़े अस्पतालों (51 बैड से अधिक) प्रयोजनार्थ संभागीय मुख्यालय पर 8000 वर्गमीटर भूमि एवं संभागीय मुख्यालय को छोड़कर अन्यत्र स्थानों पर 8000 वर्गमीटर भूमि आवंटन के प्रावधान है।

अतः प्रकरण राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 90 में से उप जिला चिकित्सालय प्रयोजनार्थ 30 बीघा निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में उपस्थित उपायुक्त–दक्षिण ने यह अवगत कराया कि उपरोक्त प्रस्ताव में अभिशंषा में "राजस्व ग्राम गुड़ा विश्नोईयान् के खसरा संख्या 600 किस्म गै.मु. गोचर" अंकित हो गया है, के स्थान पर " राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 90 किस्म गै.मु. गोचर" पढ़ा व माना जाकर निर्णय लिया जाना है। जिसे बैठक में सर्व सम्मति से स्वीकार करने का निर्णय लिया जाकर प्रकरण पर विचार विमर्श किया तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तावानुसार ग्राम सालावास के खसरा संख्या 90 किस्म गैर मुमकिन गौचर में उप जिला चिकित्सालय प्रयोजनार्थ 8,000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन करने तथा शेष अतिरिक्त भूमि आवंटन के संबंध में संपूर्ण तथ्यों का समावेश करते हुए अतिरिक्त भूमि आवंटित किये जाने के औचित्य सहित प्रकरण राज्य सरकार को कार्यकारी समिति की अतिरिक्त भूमि आवंटन किये जाने की अभिशंषा के साथ प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 :: बरकतुल्ला खॉ स्टेडियम एवं राजस्थान क्रिकेट एसोसियेशन के मध्य हुये एमओयू के संबंध में।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	बरकतुल्ला खॉ स्टेडियम एवं राजस्थान क्रिकेट एसोसियेशन के मध्य हुये एमओयू की अभिशंषा की गई है।

बरकतुल्ला खॉ स्टेडियम जोधपुर को अंतराष्ट्रीय स्तरीय स्टेडियम बनाने के लिये जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के उच्च अधिकारियों द्वारा बरकतुल्ला खॉ स्टेडियम के नक्शे अनुसार भाग को राजस्थान क्रिकेट एसोसियेशन को सुपुर्द करने का निर्णय लिया गया है।

जिसके संबंध में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में राजस्थान क्रिकेट एसोसियेशन एवं प्राधिकरण के मध्य एमओयू का ड्राफ्ट तैयार कर प्राधिकरण पत्र दिनांक 16.09.2022 को श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया गया। जिसके सन्दर्भ में संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(51) नविवि/जोधपुर/2022 जयपुर दिनांक 16 सितम्बर 2022 को उक्त एमओयू का अनुमोदन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 18 सितम्बर 2022 को मुख्यमंत्री महोदय के जोधपुर प्रवास के दौरान सचिव राजस्थान क्रिकेट एसोसियेशन एवं सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के मध्य निर्धारित शर्तो के अधीन बरकतुल्ला खॉ स्टेडियम का एमओयू किया गया।

अतः राजस्थान क्रिकेट एसोसियेशन एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के मध्य एमओयू के अनुमोदन के संबंध में प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ एवं उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 8 :: होटल जोन में विभिन्न गतिविधियॉ अनुज्ञेय किए जाने, कृषि आधारित उद्योग के मापदण्ड निर्धारित किए जाने तथा सामान्य/एग्रो वेयर हाउसिंग/गोदाम के जोन चिन्हिकरण किए जाने के संबंध में।

प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	होटल जोन में विभिन्न गतिविधियॉ अनुज्ञेय किए जाने, कृषि आधारित उद्योग के मापदण्ड निर्धारित किए जाने तथा सामान्य/एग्रो वेयर हाउसिंग/गोदाम के जोन चिन्हिकरण किए जाने के संबंध में।

01. होटल जोन में विभिन्न गतिविधियॉ अनुज्ञेय किए जाने के संबंध में :–

प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 मे विभिन्न स्थानों पर होटल जोन प्रस्तावित किए गए है। मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 के साथ संलग्न डी.सी.आर. में होटल जोन की पृथक से डी.सी.आर. उपलब्ध नही है जिसके कारण होटल जोन में अन्य अनुमत उपयोगों के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है। अतः मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031/जोनल डवलपमेंट प्लान में आरक्षित होटल जोन में होटल प्रयोजन से संबंधित निम्न गतिविधियॉ अनुज्ञेय किया जाना प्रस्तावित है :–

जो

होटल जोन में अनुज्ञेय किए जाने वाली गतिविधियाँ	
होटल	मल्टीप्लेक्स/सिनेमा हॉल
रिसोर्ट	फिल्म सिटी
रिसोर्ट हाउसिंग	गेस्ट हाउस
वाणिज्यिक मॉल	जिला वाणिज्यिक केन्द्र
वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स	क्लब/पब
बैंक	हॉलिडे कॉटेज
रेस्टोरेन्ट	मोटल
मेरिज गार्डन	कन्वेनशन सेन्टर
बैंक्वेट हॉल	फिटनेस सेन्टर
फ्यूल फिलिंग स्टेशन/पेट्रोल पम्प	सरकारी/जन उपयोगी सुविधाएँ

उपरोक्त उपयोगों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड/प्रचलित भवन विनियम अनुसार सडक मार्गाधिकार तथा आवश्यक न्यूनतम क्षेत्रफल का प्रावधान सुनिश्चित करते हुए कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही उपरोक्त अनुज्ञेय गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों की अनुज्ञेयता के संबंध में व्यापक जनहित में बी.पी.सी (एल.पी.) द्वारा इस संबंध में निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

02. <u>कृषि आधारित उद्योग हेतु मापदण्ड</u> :–

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 14.09.2020 को जारी आदेश में शहरों में प्रभावी व प्रारूप मास्टर प्लान में प्लांटेशन बैल्ट, ईकोलोजिकल जोन व ईकोसेन्सेटिव जोन, रिक्रिएशन जोन (पार्क, प्ले ग्राउण्ड आदि) को छोडकर अन्य सभी भू–उपयोग में राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि प्रोत्साहन नीति 2019, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 और इसी अनुरूप स्थापित होने वाले उद्योग अनुज्ञेय किए गए है, जिसके कारण आवासीय क्षेत्रों के मध्य कृषि आधारित उद्योग स्थापित होने एवं प्रस्तावित कृषि आधारित उद्योगों हेतु पहुँच मार्ग आवासीय योजनाओं एवं ग्रामीण आबादी क्षेत्रों के मध्य से पहुँच मार्ग होने की स्थिति में उक्त आबादी क्षेत्रों में यातायात एवं प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होगी एवं आम–जन में आक्रोश व्यापत होने की सम्भावना बनी रहेगी। अतः आवासीय क्षेत्रों में सुगम यातायात एवं वाहन प्रदूषण की दृष्टि से प्रस्तावित कृषि आधारित उपयोग हेतु आवेदित भूमि को अनुमोदित आवासीय योजना की सडक से, सघन आबादी क्षेत्र के मध्य से पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही अनुज्ञेय किया जाना प्रस्तावित है।

03. <u>सामान्य/एग्रो वेयर हाउसिंग/गोदाम के जोन चिन्हिकरण किए जाने के संबंध में</u> :–

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 20.08.2020 को जारी अधिसूचना में टाउनशिप पॉलिसी 2010 में नये प्रावधान संख्या 06.09 में सामान्य/एग्रो वेयर हाउसिंग व गोदाम हेतु प्रावधान निर्धारित किए गए है। उक्त प्रावधान अनुसार सामान्य वेयर हाउसिंग/गोदाम उपयोग तथा कृषि आधारित वेयर हाउसिंग/गोदाम उपयोग मास्टर प्लान में प्रतिबंधित भू–उपयोग जैसे इको सेन्सेटिव जोन, प्लान्टेशन जोन एवम् इको लॉजिकल जोन को छोडकर अन्य सभी उपयोगों में अनुज्ञेय किये गये है। साथ ही समस्त नगरीय निकायों को संबंधित शहर हेतु प्रभावी मास्टर प्लान के अनुसार वेयर हाउसिंग/गोदाम हेतु जोनों का चिन्हिकरण किये जाने का प्रावधान किया जाना अपेक्षित है जिसके कम में जोन चिन्हिकरण हेतु निम्न प्रस्तावानुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है:–

1. नगर निगम उत्तर व नगर निगम दक्षिण के जोनल डवलपमेंट प्लान में दर्शित सीमा को छोडकर प्राधिकरण क्षेत्र में मास्टर प्लान में प्रतिबंधित भू–उपयोग जैसे इको सेन्सेटिव जोन, प्लान्टेशन जोन एवम् इको लॉजिकल जोन को छोडकर अन्य सभी उपयोगों में अनुज्ञेय किये जाने प्रस्तावित है।
2. मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 में आरक्षित ओ.सी.एफ., जन–सुविधाएँ, पब्लिक/सेमी पब्लिक उपयोग, सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालय, होटल कॉम्प्लेक्स, सरकारी आरक्षित क्षेत्र, पार्क/खुला क्षेत्र एवं प्ले–ग्राउण्ड, वृक्षारोपण, कोर फेसिलिटी क्षेत्र, हिली एवं रॉकी क्षेत्र, रेलवे स्टेशन यार्ड, बस स्टेण्ड आदि को छोडकर अन्य सभी उपयोगों में न्यूनतम 24 मीटर व इससे अधिक सडक मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय किये जाने प्रस्तावित है।
3. मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 में विभिन्न उपयोगों की डी.सी.आर. में वेयरहाउस/गोदाम अनुज्ञेय किये गये है। उक्तानुसार ही सडकों की चौडाई आरक्षित करते हुए कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।
4. ग्रामीण आबादी एवं उसके चारों ओर 500 मीटर की दूरी को छोडकर शेष क्षेत्र में (उपरोक्तानुसार प्रतिबंधित क्षेत्र को छोडकर) अनुज्ञेय किये जाने प्रस्तावित है।
5. सामान्य/एग्रो वेयर हाउसिंग/गोदाम प्रयोजनार्थ भूखण्डों में अग्निसुरक्षा बाबत् सुरक्षात्मक दूरी हेतु अन्य उपयोगों से न्यूनतम 9 मीटर सेटबैक का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।
6. उपरोक्त प्रावधानों के अतिरिक्त अन्य प्रावधान हेतु व्यापक जनहित में बी.पी.सी (एल.पी.) द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श उपरोक्त प्रस्ताव के संबंध में निम्नानुसार आंशिक संशोधनों के सहित प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जाकर आगामी प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदन प्रस्तुत करने की अभिशंषा सर्व सम्मति से की गईः–

1– होटल जोन में प्रस्तावित अनुज्ञेय गतिविधियों/ उपयोग के अतिरिक्त एम्यूजमेन्ट /वॉटर पार्क को भी सम्मिलित किया जावे।

2– सामान्य/एग्रो वेयर हाउसिंग/ गोदाम के जोन चिन्हिकरण किये जाने के संबंध में बिन्दु संख्या–1 पर उल्लेखित प्रस्ताव को विलोपित किया जाकर नगर निगम सीमा में भी सामान्य/ एग्रो वेयर हाउसिंग / गोदाम को अनुज्ञेय किये जाने का निर्णय लिया गया।

3– सामान्य/ एग्रो वेयर हाउसिंग/ गोदाम के जोन चिन्हिकरण किये जाने के संबंध में बिन्दु संख्या 2 पर उल्लेखित प्रस्तावों के अतिरिक्त 500 वर्ग मीटर क्षैत्रफल तक के वाणिज्यिक गोदामों को 18 मीटर सडक पर अनुज्ञेय किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 9 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 व दक्षिण जोन (जोन एस–2) के अनुमोदित जोनल डवलपमेन्ट प्लान में राजस्व ग्राम बोरानाडा, सालावास व तनावड़ा में रीको क्षेत्र में स्थित जी.एस.एस से बोरानाडा–सालावास रोड एवम् जोधपुर– सालावास के मध्य स्थित प्रस्तावित 48 मीटर सडक को विलोपित करते हुए उत्तर दिशा में स्थित 132 के.वी. एच.टी. लाईन के सहारे शिफ्ट किए जाने के संबंध में।

प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 व दक्षिण जोन (जोन एस–2) के अनुमोदित जोनल डवलपमेन्ट प्लान में राजस्व ग्राम बोरानाडा, सालावास व तनावड़ा में रीको क्षेत्र में स्थित जी.एस.एस से बोरानाडा–सालावास रोड एवम् जोधपुर–सालावास के मध्य स्थित प्रस्तावित 48 मीटर सडक को विलोपित करते हुए उत्तर दिशा में स्थित 132 के.वी. एच.टी. लाईन के सहारे शिफ्ट किए जाने के संबंध में।

जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 17.02.2021 को प्राधिकरण की बैठक में मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 का अनुमोदन किया गया तथा दक्षिण जोन (एस–2) के जोनल डवलपमेन्ट प्लान का अनुमोदन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 02.11.2021 में करते हुए दिनांक 09.11.2021 को अधिसूचित किया गया। मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 व जोनल डवलपमेन्ट प्लान में राजस्व ग्राम बोरानाडा, सालावास व तनावड़ा में प्रस्तावित 48 मीटर सडक के एलाईनमेंट में संशोधन किये जाने हेतु विभिन्न प्रतिवेदन प्राप्त हुए है जिसमें उक्त 48 मीटर सडक को उत्तर दिशा में गुजर रही 132 के.वी. की विद्युत लाईन के नीचे शिफ्ट किए जाने बाबत् निवेदन किया गया है। प्राप्त प्रतिवेदन एवं उनके संबंध में प्राप्त राय/मार्गदर्शन/दिशा–निर्देश का विवरण निम्नानुसार है:–

01. श्री अभय कुमार जैन एवं अन्य द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 08.02.2022 में निवेदन किया गया है कि मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031, जो कि वर्ष 2014 में जारी हुआ था उसमें 132 के.वी. एच.टी. लाईन को 48 मीटर प्रस्तावित रोड के साथ ही रखा गया था परंतु जोनल डवलपमेंट प्लान में इन्हें अलग–अलग कर दिया गया है। उक्त प्रस्तावित मार्ग पर आने वाले विभिन्न खसरों पर नगर सुधार न्यास एवं जो.वि.प्रा. द्वारा रूपान्तरण कर रखा है जो कि कमिटमेंट्स की श्रेणी में आता है। रीको द्वारा आवंटित औद्योगिक भूखण्डों पर भी निर्माण हो चुका है। अतः एस–2 के जोनल प्लान में मास्टर प्लान की 48 मीटर प्रस्तावित रोड को 132 के.वी. एच.टी. लाईन के नीचे प्रस्तावित मार्गाधिकार में समाहित करते हुए जोनल प्लान में संशोधन करवाया जावें क्योंकि 70–100 मीटर समान्तर दूरी पर 2 बडे मार्ग व्यावहारिक प्रस्ताव नही है। अतः मास्टर प्लान में 48 मीटर प्रस्तावित सडक मूर्त रूप ले सकें तथा एच.टी. लाईन के प्रावधान भी लागू किये जा सकें।

02. श्री रमेश छाजेड द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 04.07.2022 में निवेदन किया गया है कि 48 मीटर प्रस्तावित रोड के विभिन्न खसरों पर पट्टे जारी किये जा चुके है जो कि कमिटमेंट्स की श्रेणी में आते है। 48 मीटर प्रस्तावित सडक कभी भी मूर्त रूप नहीं ले पायेगा इसलिए प्राधिकरण द्वारा जारी एस–2 के जोनल प्लान में संशोधन कर उक्त प्रस्तावित 48 मीटर मास्टर प्लान रोड को 132 के.वी. एच.टी. लाईन के साथ ही नियोजित कर दिया जावें ताकि मास्टर प्लान प्रस्तावित 48 मीटर रोड मूर्त रूप ले सकें एवं खसरा संख्या 43/2 ग्राम सालावास के ले–आउट प्लान में इसका अंकन नहीं किया जावें।

03. श्री ओमाराम पटेल, सरपंच, ग्राम पंचायत सालावास द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 14.07.2022 में निवेदन किया गया है कि प्राधिकरण द्वारा जोनल प्लान अनुमोदित किये जाने से पूर्व उक्त प्रस्तावित मार्ग के मार्गाधिकार पर 90/ए के तहत कार्यवाही कर कई खसरों के पट्टे जारी कर चुका है जिससे उक्त प्रस्तावित मार्ग को मौके पर मूर्त रूप देना सम्भव नही है। अतः प्रस्तावित 48 मीटर मास्टर प्लान सडक को 132 के.वी. के साथ ही रखा जावें ताकि मास्टर प्लान में 48 मीटर प्रस्तावित सडक मूर्त रूप ले सकें तथा एच.टी. लाईन के प्रावधान भी लागू किये जा सकें।

04. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर के पत्र दिनांक 22.07.2022 के द्वारा श्री ओमाराम पटेल, सरपंच, ग्राम पंचायत सालावास द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 14.07.2022 में उल्लेखित तथ्यों/कमिटमेंट्स आदि का परीक्षण कर प्रश्नगत मास्टर प्लान की 48 मीटर सडक के संबंध में एस–2

के जोनल डवलपमेंट प्लान में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 14.07.2022 की पालना में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु सूचित किया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 14.07.2022 के अनुसार शहरों के अन्दर के राष्ट्रीय/राज्य मार्ग व अन्य सडकों के मार्गाधिकार पुनः निर्धारण कर पट्टे देने के संबंध में प्रावधान निर्धारित किये गये है।

05. श्री अभय जैन व अन्य द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 08.02.2022 एवं श्री रमेश छाजेड द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 04.07.2022 के संदर्भ में सडक एलाईनमेंन्ट एवं इससे संदर्भित भू-उपयोग निर्धारण किये जाने हेतु उचित मार्गदर्शन राज्य सरकार से प्राप्त करने पर नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 22.08.2022 से निम्नानुसार राय प्राप्त हुई हैः **जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम-2009 की धारा 25 के अनुसार जोविप्रा मास्टर प्लान/जोनल प्लान में संशोधन हेतु सक्षम है। अतः जोधपुर विकास प्राधिकरण स्तर से ही परीक्षण कर प्राधिकरण की बैठक में निर्णय लिया जावें।**

राज्य सरकार व कार्यालय मुख्य नगर नियोजक राजस्थान से प्राप्त राय/मार्गदर्शन/दिशा-निर्देश अनुसार श्री अभय कुमार जैन एवं अन्य द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 08.02.2022 तथा श्री ओमाराम पटेल, सरपंच ग्राम पंचायत सालावास द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 14.07.2022 का परीक्षण किया गया एवं वस्तुस्थिति निम्नानुसार हैः-

01. प्रश्नगत सडक रीको क्षेत्र में स्थित जी.एस.एस से बोरानाडा-सालावास रोड एवम् जोधपुर-सालावास के मध्य स्थित है तथा प्रश्नगत सडक मार्गाधिकार में अधिकांश भूमि मौके पर रिक्त है। बोरानाडा-सालावास रोड के जंक्शन पर निर्मित भवन, जोधपुर-सालावास रोड के जंक्शन के समीप प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित एकल भूखण्ड से एवं रीको क्षेत्र में भी निर्मित भवनों से प्रभावित है।

02. प्रश्नगत सड़क में राजस्व रिकॉर्ड व गूगल मानचित्र अनुसार अनुसार क्रमशः कोई कटाण रास्ता तथा विद्यमान सडक नहीं है। मौके पर रिक्त है।

03. प्रश्नगत सड़क जोधपुर मास्टर प्लान-2023 अनुसार नगरीयकरण योग्य क्षेत्र व परिधि नियन्त्रण पट्टी को विभाजित करती है। उक्त सडक आर्टेरियल सडक एवं बाहरी रिंग रोड का भाग है, जिसका मार्गाधिकार जोधपुर मास्टर प्लान-2023 अनुसार 48 मीटर निर्धारित है।

04. मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 जी.आई.एस. आधारित तकनीक से तैयार किया गया है जिसमें उक्त सडक को यथावत प्रस्तावित किया गया है तथा सडक का मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 के अनुसार 48 मीटर निर्धारित है।

05. जोनल डवलपमेन्ट प्लान (एस-2) के प्रकाशन से पूर्व प्रारूप जोनल डवलपमेन्ट प्लान (एस-2) पर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये थे, जिसमें प्रश्नगत सडक को मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 के प्रस्तावानुसार यथावत प्रस्तावित किया गया था। आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने के दौरान प्रश्नगत सडक के एलाईनमेंट में संशोधन किये जाने के संबंध में आपत्ति संख्या 67 (श्री मगराज छाजेड), 85 (श्री अभय कुमार जैन), 87 (श्री पूनाराम), 58 (श्री हीरालाल मेघवाल, माननीय विधायक, बिलाडा), 59(a) (कार्यालय ग्राम पंचायत, सालावास) द्वारा प्रश्नगत सड़क को हटाये जाने एवं सडक का एलाईनमेन्ट समीप गुजर रही 132 के.वी. की एच.टी. लाईन के साथ समाहित किये जाने हेतु आपत्ति प्रस्तुत की गई, जिसे परीक्षण उपरांत प्राधिकरण की कार्यकारी समिति एवं बोर्ड बैठक में निरस्त किया जाकर प्रश्नगत सडक का एलाईनमेंट मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 एवं जोनल डवलपमेन्ट प्लान के प्रस्ताव अनुसार यथावत रखा गया।

06. मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 एवं जोनल डवलपमेन्ट प्लान (एस-2) के अनुसार प्रश्नगत सड़क के उत्तर दिशा में आवासीय, थोक व्यापार व औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग एवं दक्षिण दिशा में औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग आरक्षित है।

07. विद्यमान भू-उपयोग मानचित्र-2013 में प्रश्नगत 132 के.वी. की एच.टी. लाईन को नहीं दर्शाया गया था तथा मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 के प्रारूप में भी 132 के.वी. एच.टी. लाईन को 48 मीटर प्रस्तावित रोड के साथ प्रस्तावित नहीं किया गया था।

08. प्रश्नगत सड़क (रीको क्षेत्र में स्थित जी.एस.एस से बोरानाडा–सालावास रोड एवम् जोधपुर–सालावास के मध्य) के उत्तर दिशा में 132 के.वी. की एच.टी. लाईन गुजर रही है जिसके सहारे–सहारे जोनल डवलपमेन्ट प्लान (एस–2) में सडक मार्गाधिकार प्रस्तावित नहीं किया गया है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 17.06.2022 को जारी दिशा–निर्देश अनुसार 132 के.वी. की एच.टी. लाईन हेतु कुल सेफ्टी कॉरीडोर 13.8 मीटर तथा कुल आर.ओ.डब्ल्यू. 27.0 मीटर निर्धारित है। प्रश्नगत सडक के उत्तर दिशा में गुजर रही 132 के.वी. की विद्युत लाईन के नीचे शिफ्ट किए जाने पर मार्गाधिकार 48 मीटर के स्थान पर 27 मीटर ही प्राप्त होता है, जो कि नियोजन की दृष्टि से उचित नही है।

09. प्रश्नगत सडक एवं एच.टी. लाईन के मध्य दूरी लगभग 0–600 मीटर है। 132 के.वी. की एच.टी. लाईन के सेफ्टी कॉरीडोर के उपरांत दोनों तरफ 24–24 मीटर (कुल 48 मीटर) मार्गाधिकार प्रस्तावित किये जाने की स्थिति में मार्गाधिकार के अन्दर जोधपुर–सालावास सडक एवं बोरानाडा–सालावास सडक के जंक्शन पर गूगल मानचित्र अनुसार भवन निर्मित है।

10. संदर्भित प्रतिवेदन द्वारा प्रश्नगत प्रस्तावित 48 मीटर सड़क के मार्गाधिकार में प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जोधपुर मास्टर प्लान–2023 के प्रस्ताव अनुसार किए गए कमिटमेंट्स आ जाने की वजह से एलाईमेन्ट में संशोधन करने बाबत् निवेदन किया है। प्रश्नगत सड़क पर पूर्व में ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या 26/42, 26/43 व 26/44 के कमिटमेन्ट्स किये गए है जिनका भू–उपयोग परिवर्तन पूर्व में दिनांक 29.01.2008 को आवासीय से औद्योगिक प्रयोजनार्थ किया गया था। उल्लेखनीय है कि आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने के दौरान श्री मगराज छाजेड द्वारा खसरा संख्या 26/42, 26/43 व 26/44 के कमिटमेन्ट के परिप्रेक्ष्य में मास्टर प्लान की प्रस्तावित 48 मीटर सडक को हटाये जाने बाबत् आपत्ति प्रस्तुत की गयी थी, जिसे परीक्षण उपरांत प्राधिकरण की कार्यकारी समिति एवं बोर्ड बैठक में निरस्त किया जाकर प्रश्नगत सडक का एलाईनमेंट मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 एवं जोनल डवलपमेन्ट प्लान के प्रस्ताव अनुसार यथावत रखा गया।

11. श्री रमेश छाजेड द्वारा प्राधिकरण में प्रस्तुत राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 43/2 का 90/क के तहत कृषि से अकृषि रूपान्तरण के उपरांत भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.) द्वारा प्रश्नगत सडक को यथावत रखते हुए ले–आउट प्लान अनुमोदित किया जा चुका है।

12. जोनल डवलपमेंट प्लान (प्रारूप) में प्रश्नगत सडक के पूर्व दिशा में जोधपुर–सालावास सडक से लगते हुए पूर्व में किये गये ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या 26/42, 26/43 व 26/44 के कमिटमेंट के आधार पर सडक के एलाईनमेंट में परिवर्तन तथा सर्किल को विलोपित किया गया था परंतु आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने के दौरान श्री राजेश चुंगलानी (आपत्ति संख्या 69) व श्री उम्मेदराम, बिरदाराम (आपत्ति संख्या 70) द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किये जाने पर जोनल डवलपमेंट प्लान (प्रारूप) में प्रस्तावित संशोधन को निरस्त कर प्रश्नगत सडक का एलाईनमेंट मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 अनुसार प्राधिकरण की कार्यकारी समिति एवं बोर्ड बैठक द्वारा पूर्व की भांति यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया।

13. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25.02.2009 को जारी परिपत्र के बिन्दु संख्या 20 व 21 अनुसार "किसी भी शहर/कस्बे के मास्टर प्लान एवं ड्राफ्ट मास्टर प्लान के अनुमोदित होने के बाद 2 वर्षों तक भू–उपयोग परिवर्तन केवल राज्य सरकार के स्तर पर किया जा सकेगा। साथ ही किसी भी शहर/कस्बे के अनुमोदित मास्टर प्लान का प्रत्येक 5 वर्ष में पुर्नरावलोकन किया जाकर आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा।

14. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 16.04.2010 को जारी परिपत्र के प्रावधान संख्या 4.1 अनुसार "किसी भी शहर के प्रारूप/फाइनल मास्टर प्लान के अनुमोदन से 2 वर्ष की अवधि तक किसी प्रकार का भू–उपयोग परिवर्तन नहीं किया जायेगा। प्रत्येक मास्टर प्लान का 5 वर्ष बाद पुर्नरावलोकन किया जाकर आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा।

पूर्व में प्रधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 16.06.2022 में सडक के एलाईनमेंट में संशोधन किये जाने हेतु एक अन्य प्रस्ताव (प्रस्ताव संख्या 20) जो कि प्रश्नगत सडक के उत्तर दिशा में लगते हुए है, में निम्नानुसार निर्णय लिया जा चुका है:"**बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि समान प्रकृति के अन्य प्रकरण भी लम्बित हो सकते है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व**

सम्मति से निर्णय लिया गया कि ऐसे समान प्रकृति के समस्त प्रकरणों का चिन्हिकरण कर उन समस्त प्रकरणों का चिन्हिकरण कर उन समस्त प्रकरणों का परीक्षण कर सारगर्भित रिपोर्ट के साथ समस्त प्रकरणों को एक साथ ही आगामी बैठक में विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जावें।"

राज्य सरकार के पत्र दिनांक 22.08.2022 द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन के कम में जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम–2009 की धारा 25 के अनुसार जोविप्रा मास्टर प्लान/जोनल प्लान में संशोधन हेतु प्राधिकरण की बैठक में निर्णय लिये जाने से पूर्व कार्यकारी समिति के समक्ष उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में निम्न बिन्दुओं पर विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है :–

01. मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 की प्रस्तावित प्रश्नगत 48 मीटर सडक को वर्तमान में प्रस्तावित स्थान से हटाकर उत्तर दिशा में 132 के.वी. की विद्युत लाईन के नीचे स्थानान्तरण किये जाने।

02. 132 के.वी. की विद्युत लाईन के आर.ओ.डब्ल्यू. का निर्धारण किये जाने के संबंध में।

03. मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 की प्रस्तावित 48 मीटर सडक को वर्तमान में प्रस्तावित स्थान से विलोपित किय जाने के उपरांत उक्त क्षेत्र के भू–उपयोग का निर्धारण किए जाने के संबंध में।

04. मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 की प्रस्तावित प्रश्नगत 48 मीटर सडक को विलोपित किए जाने की स्थिति में नियोजन की दृष्टि से औद्योगिक क्षेत्र एवम् आवासीय क्षेत्र के मध्य ग्रीन बफर रखे जाने एवम् इसकी चौडाई निर्धारण किये जाने के संबध में।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में निर्देशानुसार प्रकरण आगामी कार्यकारी समिति के समक्ष अवलोकनार्थ व उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–

1– मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 की प्रस्तावित प्रश्नगत 48 मीटर सडक को विलोपित करते हुए उत्तर दिशा में 132 के.वी. की विद्युत लाईन के नीचे नियमानुसार 13.8 मीटर का सेफ्टी कॉरिडोर रखते हुए दोनों ओर 24–24 मीटर (48 मीटर सडक हेतु) सडक मार्गाधिकार रखा जावे।

2– मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 की प्रस्तावित 48 मीटर सडक को वर्तमान में प्रस्तावित स्थान से विलोपित किये जाने के उपरांत औद्योगिक व आवासीय भू–उपयोग के प्रतिशत में परिवर्तन नहीं होने के दृष्टिगत उक्त क्षेत्र में आवासीय भू–उपयोग प्रस्तावित किया जावे।

3– मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 की प्रस्तावित प्रश्नगत 48 मीटर सडक को विलोपित किए जाने की स्थिति में नियोजन की दृष्टि से औद्योगिक क्षेत्रों एवं आवासीय क्षेत्रों के मध्य ग्रीन बफर हेतु सेटबेक का निर्धारण नियमानुसार ले–आऊट प्लान अनुमोदन करते समय निर्धारित किया जावे।

4– उपरोक्त प्रस्ताव तैयार कर प्राधिकरण की आगामी बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जावे तथा अनुमोदन उपरान्त विज्ञप्ति जारी कर आम–जन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने की नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे

5– प्राधिकरण की आगामी बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत किये जाने से पूर्व मास्टर प्लान में संशोधन किये जाने के संबंध में कोई विधिक रोक नहीं है, इस बाबत विधि शाखा से रिपोर्ट भी प्राप्त की जावे।

प्रस्ताव संख्या 10 :: शाला क्रीड़ा संगम केन्द्र, गौशाला मैदान परिसर में वॉक पथ एवं परिसर के जीर्णोद्वार के संबंध मे निर्णय बाबत्।

जो.

क्र सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संमंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है।	शाला क्रीडा संगम केन्द्र, गौशाला मैदान परिसर में वॉक पथ एवं परिसर के जीर्णोद्वार के सम्बन्ध में जिला कलक्टर कार्यालय से उपरोक्त सन्दर्भित पत्र क्रमांक एडीएम/पीए/2022/235 दिनांक 29.07.2022 को प्राप्त हुआ है। गौशाला मैदान परिसर में विभिन्न कार्यो हेतु निर्देशानुसार कुल रूपये 1388 लाख के प्रस्ताव तैयार किये गये है तथा डीपीआर संलग्न है। सन्दर्भित पत्र अनुसार इस राशि मे से 50 प्रतिशत राशि का वहन जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा तथा शेष राशि वहन करने हेतु नगरीय विकास विभाग, जयपुर के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्ताव पत्र क्रमांक अ.अ./पूर्व/786 दिनांक 01.09.2022 को प्रेषित कर दिया गया है। **उपरोक्तानुसार** रूपये 1388 लाख का 50 प्रतिशत राशि अर्थात् रूपये 694 लाख रूपये जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तथा 50 प्रतिशत राशि अर्थात 694 लाख रूपये नगरीय विकास विभाग द्वारा वहन की जायेगी। जोधपुर विकास प्राधिकरण की बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक/बैठक/2022/भाग (10)/1662 दिनांक 27.08.2022 को प्रस्ताव संख्या 5 में अनुमोदन किया गया है। उपरोक्तनुसार रूपये 1388 लाख की 50 प्रतिशत राशि अर्थात् रूपये 694 लाख जो जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा व्यय किये जाने है, की **प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति** हेतु प्रकरण **कार्यकारी समिति के समक्ष** अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

कार्य का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

1. **वॉक पथ–वे :–**

- वॉक पथ–वे की लम्बाई 1.3 किलोमीटर है, जिसमें बाऊन्ड्री वॉल रिपेयर, गार्ड रूम रिपेयर, फेन्सींग, शेड, इलेक्ट्रीक कार्य, कम्पाउण्ड वॉल, वेलनेस ट्रेक का कार्य सम्मिलित है।
- वर्तमान में ट्रेक पर प्रशिक्षण लेने वालो की संख्याः–वर्तमान में 400 प्रशिक्षणार्थी वाकिंग ट्रेक का उपयोग कर रहे है।
- अनुमानित लागतः–439.00 लाख

2. **वालीबॉल :–**

- वर्तमान में खेल का प्रशिक्षण लेने वालो की संख्याः–20 छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है। इस परिसर से राज्य एंव राष्ट्रीय स्तर पर छात्र चयनित हुए है।
- शाला क्रीड़ा संगम केन्द्र में खेल स्थापित 2007 से प्रारम्भ हुआ।
- अनुमानित लागतः– 22.00 लाख

3. **क्रिकेट :–**

- वर्तमान में खेल का प्रशिक्षण लेने वालो की संख्याः– 80 छात्र नियमित रूप से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है जिसमें राजकीय विद्यालय के छात्र निशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है। इस परिसर से राज्य एंव राष्ट्रीय स्तर पर छात्र चयनित हुए है।
- शाला क्रीड़ा संगम केन्द्र में खेल स्थापित हुआ हैः– 2016–2017 से प्रारम्भ हुआ।
- अनुमानित लागत :– 186.00 लाख

4. **क्रिकेट :–**

- वर्तमान में खेल का प्रशिक्षण लेने वालो की संख्याः– 80 छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है जिसमें राजकीय एंव मान्यता प्राप्त विद्यालय के छात्र है। इस परिसर से राज्य एंव राष्ट्रीय स्तर पर छात्र चयनित हुए है।
- शाला क्रीड़ा संगम केन्द्र में खेल स्थापित हुआ हैः– 2016–2017 से प्रारम्भ हुआ।
- अनुमानित लागतः–17.00 लाख (कुल लागत)

5. **जुडो :–**

- वर्तमान में खेल का प्रशिक्षण लेने वालो की संख्याः– 18 छात्र/छात्राऐं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है जिसमें राजकीय विद्यालय के छात्रो को निशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है।इस परिसर से राज्य एंव राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी तैयार हो चुके है।
- शाला क्रीड़ा संगम केन्द्र में खेल स्थापित हुआ हैः– 2008 से प्रारम्भ हुआ।
- अनुमानित लागतः–14.00 लाख

6. **स्केटिंग :–**

- वर्तमान में खेल का प्रशिक्षण लेने वालो की संख्याः–वर्तमान में 153 छात्र/छात्राऐं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है जिसमें राजकीय विद्यालय के छात्र/छात्राओ को निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है।इस परिसर से राज्य एंव राष्ट्रीय स्तर पर छात्र चयनित हुए है।
- शाला क्रीड़ा संगम केन्द्र में खेल स्थापित हुआ हैः–2013 से प्रारम्भ हुआ।
- अनुमानित लागतः–31.00 लाख

7. **स्वीमिंग :–**

- वर्तमान में खेल का प्रशिक्षण लेने वालो की संख्याः–वर्तमान में 350 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है।राजकीय विद्यालय मे अध्ययनरत छात्र/छात्राओ को निशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है।इस परिसर से राज्य एंव राष्ट्रीय स्तर पर छात्र चयनित हुए है।
- शाला क्रीड़ा संगम केन्द्र में खेल स्थापित हुआ हैः–2007 से प्रारम्भ हुआ।
- अनुमानित लागतः– 20.00 लाख

8. **<u>सोन्दर्यकरण</u> :–**शाला क्रीड़ा संगम केन्द्र परिसर दक्षिण दिशा के द्वार पुनरोद्वार करवाकर नया रूप देने का कार्य करना।

- शाला क्रीड़ा संगम केन्द्र में दक्षिण दिशा गेट स्थापित हुआ हैः– 2007
- अनुमानित लागतः– 24.00 लाख

9. **कार्य का नाम :– फाउंटेन निर्माण कार्य**

- सोन्दर्यकरण :–शाला क्रीड़ा संगम केन्द्र परिसर सोन्दर्यकरण हेतु पूर्वी द्वार एवं दक्षिणी द्वार के निकट फाउन्टेन का निर्माण करवाकर नया रूप देने का कार्य करना है।
- अनुमानित लागतः–14.00 लाख

10. **कार्य का नाम :–प्लेयिंग इक्युपमेंट**

- अनुमानित लागत :– 3.00 लाख

11. **खेल का नाम :–बैडमिन्टन**

- वर्तमान में खेल का प्रशिक्षण लेने वालो की संख्याः–वर्तमान में 70 प्रशिक्षणार्थी खेल रहे है।
- शाला क्रीड़ा संगम केन्द्र में खेल स्थापित हुआ हैः–2010 से प्रारम्भ हुआ।
- अनुमानित लागतः– 36.00 लाख

12. **खेल का नाम :–जिम**

- वर्तमान में खेल का प्रशिक्षण लेने वालो की संख्याः–वर्तमान में 35 प्रशिक्षणार्थी व्यायाम कर रहे है।
- शाला क्रीड़ा संगम केन्द्र में खेल स्थापित हुआ हैः–2007 से प्रारम्भ हुआ।
- अनुमानित लागतः– 8.00 लाख

13. **कार्य का नाम :– सोलर प्लान्ट लगाने का कार्य।**

- अनुमानित लागतः– 20.00 लाख

14. कार्य का नाम :– **शाला क्रीडा संगम केन्द्र परिसर गौशाला मैदान में सी.सी.टी.वी कैमरों को शिफ्ट करने व नए सी.सी.टी.वी कैमरे लगाने का कार्य।**

- अनुमानित लागतः– 6.00 लाख

15. कार्य का नाम :– **वैलनेस ट्रेक के निकट ओपन जिम का कार्य।**

- वर्तमान में गौशाला परिसर में प्रतिदिन आने वाले आगनतुकों द्वारा एवं बच्चों द्वारा जिम उपकरण स्थापित करने की मांग को देखते हुये जिम उपकरणों की संख्या बढाई जानी आवश्यक है। जिस हेतु नवीन वेलनेस ट्रेक के समीप स्थिति उद्यानों में नवीन जिम उपकरण लगाये जाने प्रस्तावित है।
- अनुमानित लागतः– 10.00 लाख

16. कार्य का नाम :– **जर्जर एवं क्षतिग्रस्त पैवेलियन को तोड कर पुनः नवीन निर्माण कार्य।**

- वर्तमान में गौशाला परिसर में निर्मित पैवेलियन जर्जर अवस्था में है जिसको तोड कर नवीन पैवेलियन का निर्माण किया जायेगा। जिससे की गौशाला परिसर मैदान में आयोजित होने वाली खेलकूद प्रतियोगिताओं में खिलाडियों के प्रोत्साहन हेतु शहर की जनता एवं दर्शकों को व्यवस्थित बैठने की सुविधा उपलब्ध हो सके।
- अनुमानित लागतः– 50.00 लाख

17. कार्य का नाम :– **योगशाला का नवीनीकरण कार्य।**

- वर्तमान में खेल का प्रशिक्षण लेने वालो की संख्याः–वर्तमान में 50 प्रशिक्षणार्थी योग कर रहे है।
- शाला क्रीड़ा संगम केन्द्र में खेल स्थापित हुआ हैः–2020 से प्रारम्भ हुआ।
- अनुमानित लागतः– 30.00 लाख

18. कार्य का नाम :– **परिसर में मल्टी पर्पज हॉल निर्माण कार्य।**

- गौशाला मैदान में विभिन्न इनडोर खेल की सुविधा हेतु एक ही स्थान पर बैडमिंटन, टी.टी एवं अन्य इनडोर खेल हेतु नवीन मल्टी पर्पज हॉल का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। मल्टी पर्पज हॉल हेतु शाला कीडा संगम गौशाला की और से 87.50 लाख रूपये पूर्व मे जोधपुर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित किये जा चुके है। कुल लागत रूपये 350.00 लाख मे रूपये 175.00 लाख जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा व्यय किये जाने है। शेष रूपये 88.00 लाख बजट राशि मे से जारी किये जाने है।
- अनुमानित लागतः– 88.00 लाख

19. कार्य का नाम :– **खिलाडियों हेतु हॉस्टल निर्माण कार्य।**

- गौशाला मैदान खेलकूद प्रतियोगिताओं हेतु गौशाला मैदान में प्रतियोगी आते है उनकी सुविधा के लिये हॉस्टल की व्यवस्था हेतु खिलाडियों के ठहरने के लिये हॉस्टल का निर्माण किया जायेगा।
- अनुमानित लागतः– 254.00 लाख

20. कार्य का नाम :– **खिलाडियों हेतु केन्टिन व डायनिंग हॉल निर्माण कार्य।**

- गौशाला मैदान परिसर मे खेलकूद प्रतियोगिताओं हेतु प्रतियोगी आते है उनकी भोजन व्यवस्था के लिये कैन्टिन व डायनिंग हॉल निर्माण किया जायेगा।
- अनुमानित लागतः– 64.00 लाख

21. **अन्य विकास कार्य।**

- अनुमानित लागतः– 52.00 लाख

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए प्रस्तावानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 11 :: **Finishing, Elevation and Other Development work at International Auditorium and Cultrual Centre in Govt Polytechnic Collage Premises at Jodhpur Phase II कार्य की संशोधित प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति बाबत्।**

क्र.स	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	Finishing, Elevation and Other Development work at International Auditorium and Cultrual Centre in Govt Polytechnic Collage Premises at Jodhpur Phase II कार्य की संशोधित प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति बाबत्।	उक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति पूर्व में EC मिटिंग दिनांक 09.09.2021 के प्रस्ताव सं. 21 द्वारा राशि रू 2500.00 लाख जारी की गई थी। उक्त कार्य का कार्यादेश राशि रू 2774. 78 का जारी किया गया है। अतः टेण्डर प्रिमियम तथा भविष्य में सम्भावित अधिक/अतिरिक्त कार्य एवं Price Escalation के कारण संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी करने की स्वीकृति की अनुशंषा कि जाती है।

प्राधिकरण में Finishing, Elevation and Other Development work at International Auditorium and Cultrual Centre in Govt Polytechnic Collage Premises at Jodhpur Phase II कार्य हेतु EC मिटिंग दिनांक 09.09.2021 के प्रस्ताव सं. 21 के अनुमोदन पश्चात् निदेशक अभियांत्रिकी के आदेश क्रमांक 710 दिनांक 24.08.2021 द्वारा राशि रू 2500.00 लाख कि प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति जारी की गई थी। निविदा प्रक्रिया पश्चात न्यूनतम दर दाता मैसर्स LNA Infraproject Pvt. Ltd. को 12.51 प्रतिशत अधिक (Above) राशि रू 27,40,78,608/– एवं एच शेडयूल आईटम राशि रू 33,99,800/– **कुल 27,74,78,408**/– का कार्यादेश जारी किया गया। स्वीकृत प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति से टेण्डर प्रिमियम के कारण कार्यादेश राशि रू 27,74,78,408/– अनुसार राशि रू 274.78 लाख का अधिक व्यय होने की सम्भावना है तथा कार्य प्रगतिरत है। भविष्य में अन्य व्यय अर्थात् अधिक/अतिरिक्त कार्य एवं Price Escalation इत्यादि के व्यय की सम्भावना है। उक्त कार्य हेतु राशि रू 438.00 लाख की अतिरिक्त प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति की आवश्यकता है।

अतः राशि रू 438.00 लाख की अतिरिक्त प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति सहित कुल राशि रू 2938.00 लाख की संशोधित प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति जारी करने की अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में उपस्थित निदेशक–अभियांत्रिकी द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त एजेण्डा के बिन्दु संख्या 1 में कार्यादेश राशि 2774.78 रूपये अंकित है जो कि वास्तव में 2774.78 लाख रूपये अंकित होना चाहिए था। अतः बैठक में तद्नुसार राशि रूपये 2774.78 लाख मानी जावे।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए प्रस्तावानुसार राशि रू 274.78 लाख की अतिरिक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सहित कुल राशि रू 27,74,78,408/– की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 12 :: प्रशासन शहरो के संग अभियान 2021–22 में नगरो मित्रो से सर्वे कार्य करवाने हेतु प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति के संबंध में।

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार प्रस्तुत है	प्रशासन शहरो के संग अभियान 2021–22 में नगरो मित्रो से सर्वे कार्य करवाने हेतु प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति राशि रू. 260.00 लाख के संबंध में।

इस कार्य हेतु जारी प्रशासनिक एवं स्वीकृति राशि रू. 260.00 लाख की सक्षमता प्राधिकरण की S.O.P. Part-II goods and service के कम सं 01 के अनुसार राशि रू. 100.00 लाख से अधिक की

सक्षमता कार्यकारी समिति में निहित होने के कारण कार्य राज्य सरकार की महत्वूपर्ण योजना प्रशासन शहरो के संग अभियान में सर्वे कार्य नगर मित्रो से करवाये जाने हेतु स्वीकृति कार्यकारी समिति के अनुमोदन की प्रत्याक्षा में जारी की गई थी। प्रकरण कार्यकारी समिति में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 13 :: Development of Sports Complex at Samrat Ashok Udhyan, Jodh| का कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

क्र.स..	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार एजेण्डा में किसी प्रकार का तथ्य छिपाया नहीं गया है।	**Development of Sports Complex at Samrat Ashok Udhyan, Jodhpur** कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की अनुशंषा की जाती हैं।

इस कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति रूपये 1104.00 लाख है। SOP के बिन्दु संख्या 17 अनुसार 500.00 लाख रूपये तक की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु आयुक्त महोदय सक्षम है। रू. 500. 00 लाख से अधिक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति सक्षम है।

अतः आयुक्त महोदय की स्वीकृति के पश्चात् रूपये 1104.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के सक्षम निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए प्रस्तावानुसार 1104.00 लाख रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 14 :: रामदेवजी का मंदिर घांची समाज मे हॉल मे भूतल एवं प्रथम तल पर हॉल का कार्य रेड सील के पूर्व करवाये माप पुस्तिका में इन्द्राज के भुगतान की स्वीकृति बाबत्।

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार प्रस्तुत है	रामदेवजी का मंदिर घांची समाज मे हॉल मे भूतल एवं प्रथम तल पर हॉल का कार्य रेड सील के पूर्व करवाये माप पुस्तिका में इन्द्राज की स्वीकृति की अनुशंषा की जाती है।

राज्य सरकार के आदेश की पालना में श्रीमान जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार गठित कमेटी ने कार्य रामदेव जी का मंदिर घांची समाज में हॉल में भूतल एवं प्रथम तल पर हॉल का निर्माण कार्य पर व्यय निम्नानुसार बताया गया है :–

- कार्य की A&F राशि रू :– 82.00 लाख है।
- कार्य की कार्यादेश राशि रू0 :– 9400651 (Limit of A&F amount)
- संवेदक :– मां बिरजा जी ट्रेडिंग कम्पनी
- कार्य पर कुल व्यय राशि रू. :– 1388192.00

जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भुगतान – 1388192.00 (उक्त भुगतान राज्य सरकार से अनुमोदन पश्चात किया गया है।) तत्पश्चात शेष कार्यादेश राशि को विड्रो किया गया है।

कार्य की मूल माप पुस्तिका के स्थान पर अन्य माप पुस्तिका में इन्द्राज माप जिस पर कार्यालय द्वारा रेड सील लगाई गई है के अनुसार कार्य पर व्यय निम्नानुसार है :–

- कुल व्यय राशि रू. :– 3163719.20
- भुगतान हो गया राशि रू. :– 1388192.00
- बकाया भुगतान राशि रू. :– 1775527.00
- अतिरिक्त कार्य राशि रू. :– 549688.37 है कार्यादेश राशि का 5.85 प्रतिशत है।
- अधिक कार्य राशि रू. :– 114148.84 है कार्यादेश राशि का 1.21 प्रतिशत है। अधिक कार्य में वर्णित व्यक्तिगत आईटम सं. 1,4 एवं 5 व्यक्तिगत श्रेणी में 50 प्रतिशत से अधिक है।

कार्य का कमेटी द्वारा बताये गये व्यय के पश्चात शेष कार्यादेश राशि को विड्रो किया गया हुआ है।

वर्णित अनुसार मूल माप पुस्तिका के अतिरिक्त अन्य माप पुस्तिका में इन्द्राज माप की स्वीकृति तथा माप के अनुसार बकाया भुगतान राशि रू. 1775527.00 होने के कारण स्वीकृति राज्य सरकार में निहित है अतः प्रकरण में कार्यसमिति की स्वीकृति के पश्चात प्राधिकरण बैठक में अनुमोदन करवाकर राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है अतः उक्त प्रकरण को कार्यसमिति की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए राज्य सरकार द्वारा समान प्रकृति के प्रकरणों में इस हेतु गठित कार्यसमिति से सत्यापन करवाकर प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाने हेतु प्रकरण निर्णयार्थ प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 15 :: राज्य सरकार से वास्तविक व्यय तक प्राप्त स्वीकृति के भुगतान हेतु निर्माण कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

क्र. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व कार्यालय टिप्पणी के अनुसार कोई तथ्य नहीं छिपाया गया है।	राज्य सरकार से वास्तविक व्यय तक प्राप्त स्वीकृति के भुगतान हेतु निर्माण कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

इस कार्य की मूल प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 1424–27 दिनांक 20.12.2012 राशी 92.60 लाख रू. जारी की गई थी, तत्पश्चात् क्रमांक 4738 दिनांक 02.01.2014 राशी 143.00 लाख की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। EC बैठक दिनांक 30.07.2014 एवं 31.07.2014 के प्रस्ताव संख्या 6(13) के संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अनुसार निरस्त कर दी गई। इस कार्य के 4th Running Bill तक 1,12,83,099/- रू. का भुगतान दिनांक 03.03.2014 को हो चुका है।

संवेदक का 5th Final Bill राशी 95,462/– रू. का भुगतान बकाया है। इस कार्य की मूल प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 92.60 लाख रू. है, जबकि संवेदक द्वारा 113.79 लाख का कार्य किया गया है।

अतः 21.19 लाख रू. की अतिरिक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु पत्रावली कार्यकारी समिति में रखने हेतु निर्देश दिये है।

राजस्थान सरकार द्वारा अपने पत्रांक प.10(1)नविवि/1/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 05.06.2020 द्वारा गठित तीन सदस्य कमेटी ने मौका निरीक्षण कार्य पर कुल व्यय रूपये 113.79 लाख होना बताया (P-115) उक्त कमेटी की रिपोर्ट को राज्य सरकार द्वारा अपने पत्रांक प.10(01)नविवि/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.03.2021 पत्रांक प.10(01)नविवि/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 29.10.2021 द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो गई है। अतः वास्तविक व्यय के अनुसार राशि 0.96 लाख का भुगतान किया जाना है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	मूल प्रशासनिक एंव वित्तिय स्वीकृति (लाखो मे)	संशोधित प्रशासनिक एंव वित्तिय स्वीकृति (लाखो में)	कुल वित्तिय स्वीकृति (लाखो मे)	राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी द्वारा बताया गया कुल व्यय (लाखो मे)	वास्तविक व्यय के आधार पर वांछित संशोधित प्रशासनिक एंव वित्तिय (लाखो मे) स्वीकृति	देय भुगतान
	नया भाकरी का बास कब्रिस्तान के पीछे वार्ड संख्या 65 में सी. सी सड़क निर्माण कार्य	92.60 लाख	50.40 लाख	143.00 लाख	113.79 लाख	113.79 लाख	0.96

अतः अतिरिक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति रू. 21.19 लाख की तथा रू.113.79 लाख की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए प्रस्तावानुसार अतिरिक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति रू. 21.19 लाख की तथा रू.113.79 लाख की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 16 :: कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से प्राप्त पत्रावलियों में भुगतान स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रस्तुत करने बाबत्।

क्र सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है। (JDA/FTS/107482)	कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से प्राप्त पत्रावलियों में भुगतान स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रस्तुत करने बाबत्।

राजस्थान सरकार, नगरीय विकास विभाग के पत्रांक प10(01)नविवि/1/2003 पाट जयपुर दिनांक 05 जून 2020 द्वारा गठित समिति जिसमें जिला कलक्टर, जोधपुर के पत्रांक प. 40(35)सामान्य/2020/3974 दिनांक 16/06/2020 द्वारा नामित सदस्य की समिति द्वारा प्रत्येक पत्रावली के कार्य का भौतिक सत्यापन कर अपनी रिपोर्ट प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई, तत्समय उक्त पत्रावलियां ए.सी.बी में अनुसंधान हेतु प्रस्तुत की गई थी, जो कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण कमेटी को प्रस्तुत नहीं की जा सकी। पूर्व में कमेटी द्वारा कुल 885 पत्रावलियों का भौतिक सत्यापन

कर राज्य सरकार को प्रेषित की गई, जिसकी सक्षम स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त हो चुकी है। चूंकि उक्त पत्रावलियां ए.सी.बी कार्यालय से बाद में प्राप्त हुई है। जिसका पत्रांकवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र सं	कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	अनुबंध वर्ष	संवेदक का नाम	एसीबी का पत्रांक जिससे पत्रावली प्राप्त हुई है	अंतिम बिल राशि (लाखों में)	कार्य पर कुल व्यय (लाखों में)
1	मंगलेश्वर महादेव हॉस्पिटल में दो मंजिल भवन का निर्माण कार्य।	325	13-14	मैसर्स सांखला कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	881 / 11.08.2020	1.14	169.14
2	सैनिक क्षत्रिय माली समाज शमशान माता का थान में चार दीवारी ऊंची करने एव अन्य कार्य।	181	13-14	मैसर्स रामदयाल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	547 / 17.03.2021	44.87	87.38
3	उतर जोन में मिटटी भराई का कार्य।	35	12-13	मैसर्स राजकुमार टाक एण्ड कम्पनी	547 / 17.03.2021	अंतिम बिल बनाना शेष	अंतिम बिल बनाना शेष
4.	गोकुल जी की प्याऊ से आठ मील मण्डोर रोड़ तक फोर लेन सड़क का निर्माण कार्य।	370	12-13	मैसर्स नारायण स्वामी एन्टरप्राईजेज	547 / 17.03.2021	0.00631	143.59
5	हनुमान वीरदल मण्डोर सार्वजनिक व्यायाम शाला डूपलेक्स हॉल का निर्माण कार्य।	36	13-14	मैसर्स श्री दुर्गा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	547 / 17.03.2021	अंतिम बिल बनाना शेष	अंतिम बिल बनाना शेष
6	पेतलाव नाडी सार्वजनिक सभा भवन व स्टेप गार्डन फुटपाथ का कार्य।	73	13-14	मैसर्स श्री दुर्गा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	547 / 17.03.2021	अंतिम बिल बनाना शेष	अंतिम बिल बनाना शेष
7	वार्ड नं 55 में जाटा बास में सीमेन्ट सड़क का कार्य	80	13-14	मैसर्स मातेश्वरी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	547 / 17.03.2021	142.17	142.17
8	पेतलाव नाडी में विकास कार्य	100	12-13	मैसर्स श्री दुर्गा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	547 / 17.03.2021	अंतिम बिल बनाना शेष	अंतिम बिल बनाना शेष
9	वार्ड नं 64 में विकास कार्य।	सी-12	12-13	मैसर्स मातेश्वरी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	547 / 17.03.2021	अंतिम बिल पारित	226.22
10	कागा शमशान रामबाग में विभिन्न विकास कार्य।	172	13-14	मैसर्स श्री दुर्गा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	547 / 17.03.2021	अंतिम बिल बनाना शेष	अंतिम बिल बनाना शेष
11.	आदर्श कॉलोनी मानसागर में प्रथम तल पर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	168	12-13	मैसर्स चन्द्रविजय एन्टरप्राईजेज	1356 / 02.07.2021	0.00	39.66
12.	आदर्श कॉलोनी मानसागर में प्रथम तल पर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	165	13-14	मैसर्स चन्द्रविजय एन्टरप्राईजेज	1356 / 02.07.2021	0.00	55.82

जो

उपरोक्त पत्रावलियों में से संवेदक की सहमति से पत्रावलियों के माप–पुस्तिका में इन्द्राज अनुसार अन्तिम बिल बनाया जाकर कार्य के अन्तिम बिल की राशि निकाली गयी है। शेष पत्रावलियों का अन्तिम बिल में संवेदक द्वारा बिल की राशि की स्वीकृति के रूप में हस्ताक्षर नहीं करने के कारण भुगतान स्वीकृति में सम्मिलित नहीं की गई है।

निम्न कार्यों का जिनका अन्तिम बिल बनाया जा चुका है, तथा संवेदक सहमत है का प्राधिकरण की कार्यकारी समिति से अनुमोदन कराया जाना है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

(राशि लाखों में)

क्र सं	कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	अनुबंध वर्ष	संवेदक का नाम	एसीबी का पत्रांक जिससे पत्रावली प्राप्त हुई है	अंतिम बिल राशि (लाखों में)	कार्य पर कुल व्यय (लाखों में)
1.	मंगलेश्वर महादेव हॉस्पिटल में दो मंजिल भवन का निर्माण कार्य।	325	13–14	मैसर्स सांखला कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	881 / 11.08.2020	अंतिम बिल पारित	169.14
2.	सैनिक क्षत्रिय माली समाज शमशान माता का थान में चार दीवारी ऊंची करने एव अन्य कार्य।	181	13–14	मैसर्स रामदयाल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	547 / 17.03.2021	44.87	87.38
3.	गोकुल जी की प्याऊ से आठ मील मण्डोर रोड़ तक फोर लेन सड़क का निर्माण कार्य।	370	12–13	मैसर्स नारायण स्वामी एन्टरप्राईजेज	547 / 17.03.2021	0.00631	143.59
4.	वार्ड नं 55 में जाटा बास में सीमेन्ट सड़क का कार्य	80	13–14	मैसर्स मातेश्वरी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	547 / 17.03.2021	142.17	142.17
5.	वार्ड नं 64 में विकास कार्य।	सी–12	12–13	मैसर्स मातेश्वरी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	547 / 17.03.2021	अंतिम बिल पारित	226.22
6.	आदर्श कॉलोनी मानसागर में प्रथम तल पर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	168	12–13	मैसर्स चन्द्रविजय एन्टरप्राईजेज	1356 / 02.07.2021	0.00	39.66
7.	आदर्श कॉलोनी मानसागर में प्रथम तल पर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	165	13–14	मैसर्स चन्द्रविजय एन्टरप्राईजेज	1356 / 02.07.2021	0.00	55.82

उक्त पत्रावलियों का वर्गीकरण पूर्व की भांति किया गया, जो निम्नानुसार है:–

सूची–ए:–RTPP Rule लागू होने से पूर्व जिसका कार्यादेश दिनांक 26.01.2013 से पूर्व जारी किया गया। (प्रकरण क्रमांक 05 व 06, सूची संलग्न)

सूची–बी:–RTPP Rule लागू होने 26.01.2013 से 03.09.2013 तक 20 प्रतिशत अधिक/अतिरिक्त अनुमत थे, लेकिन उक्त सीमा से भी उचित अतिरिक्त अधिक कार्य करवाये गये। (प्रकरण क्रमांक 01, 03, सूची संलग्न)

सूची–सी:–दिनांक 04.09.2013 से 16.02.2018 के मध्य अधिक/अतिरिक्त कार्य करवाने की अनुमत सीमा 50 प्रतिशत थी, अतः इससे भी अधिक राशि के अतिरिक्त एवं अधिक कार्य करवाये गये।(प्रकरण क्रमांक 02, 04, 07, सूची संलग्न)

अतः नगरीय विकास विभाग, राज्य सरकार द्वारा पूर्व जारी स्वीकृति दिनांक 10.03.2021 एवं 29.10.2021 के क्रम में उक्त प्रकरणों में भी कार्यकारी समिति की अनुशंषा के साथ उक्त कार्यों की भुगतान स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रस्तुत करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए राज्य सरकार द्वारा समान प्रकृति के प्रकरणों में इस हेतु गठित कार्यसमिति से सत्यापन करवाकर प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाने हेतु प्रकरण निर्णयार्थ प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

इसके पश्चात् बैठक में उपस्थित प्रभारी अधिकारी, स्थापना शाखा (उपायुक्त–मुख्यालय) ने बैठक में जोधपुर विकास प्राधिकरण (समितियों के गठन एवं कर्तव्य निर्धारण) विनियम, 2014 के नियम 3 के तहत गठित की जाने वाली समितियों के कम में भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के गठन के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत कर उक्त प्रस्ताव के संबंध में बैठक में निर्णय लेने हेतु निवेदन किया। इस पर बैठक में सर्व सम्मति से प्रभारी अधिकारी, स्थापना शाखा (उपायुक्त–मुख्यालय) के उक्त प्रस्ताव को टेबल एजेण्डा मानते हुए बैठक में प्रस्तुत कर निर्णय लिये जाने का निर्णय लिया गया। जो इस प्रकार हैः–

प्रस्ताव संख्या 17 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण (समितियों के गठन एंव कृर्तव्य निर्धारण) विनियम, 2014 के नियम 3 के अन्तर्गत गठित की जाने वाली समितियां के क्रम में भूमि एंव सम्पति निस्तारण समिति के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा / प्रस्ताव
01.	यह घोषणा की जाती हैं कि जोधपुर विकास प्राधिकरण (समितियो के गठन एंव कृर्तव्य निर्धारण) विनियम, 2014 के अन्तर्गत भूमि एंव सम्पति निस्तारण के गठन बाबत्।	एजेण्डा प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में रखने की अभिशंषा की जाती हैं।

जोधपुर विकास प्राधिकरण (समितियों के गठन एंव कर्तव्य निर्धारण) विनियम, 2014 के अन्तर्गत बिन्दु नियम 3 में गठित की जाने वाली समितिया–जिसमें जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर अधिनियम की धारा 10 व अधिनियम के तत्सम्बन्धित प्रावधानो के अन्तर्गत प्राधिकरण अथवा प्राधिकरण की और से अधिकृत पदाधिकारी द्वारा 6 प्रकार की समितियो के गठन के अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें भूमि एंव सम्पति निस्तारण समिति सम्मिलित हैं।

उपरोक्त प्रावधानो के अन्तर्गत जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में भूमि एंव सम्पति निस्तारण समिति का गठन निम्नानुसार किये जाने के प्रस्ताव तैयार कर कार्यकारी समिति की बैठक में उचित निणयार्थ प्रस्तुत हैं।

01. आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर	अध्यक्ष
02. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर	सचिव
03. निदेशक (अभियांत्रिक), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर	सदस्य
04. निदेशक (आयोजना), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर	सदस्य
05. निदेशक (विधि), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर	सदस्य
06. सम्बन्धित जोन उपायुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर	सदस्य
07. उप सचिव एंव भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर	सदस्य

नियम 4.1 में समिति के कर्तव्य / अधिकार उल्लेखित हैं।

अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार प्राधिकरण की कार्यकारी समिति में रखे जाने हेतु टेबल एजेण्डा नोट स्वीकृति हेतु प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए प्रस्ताव अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में भूमि एंव सम्पति निस्तारण समिति का गठन किये जाने हेतु कार्यकारी समिति की अनुशंषा के साथ प्रकरण प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(यह कार्यवाही विवरण संबंधित पत्रावली (पत्रावली संख्या बैठक शाखा/ 2022/ भाग–13/ (जे0डी0ए0/एफ0टी0एस0/94294) कार्यकारी समिति बैठक निर्धारण पत्रावली) के पैरा संख्या 43 /एन पर आयुक्त महोदय के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है। उपरोक्त जारी किये जाने वाले कार्यवाही विवरण के संबंध में किसी भी सदस्य को यदि कोई आपत्ति हो तो वह कार्यवाही विवरण जारी होने के 7 दिवस में इस कार्यालय को अवगत करावें अन्यथा स्थिति में कार्यकारी समिति के निर्णय प्रभावी माने जावेंगे।

(जय नारायण मीणा)
सचिव

क्रमांक/बैठक/2022/1692–1710 दिनांक :: 07 सितम्बर, 2022

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
03. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
04. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
05- उपाध्यक्ष, राजस्थान स्टेट रियल एस्टेट डवलपमेंट काउन्सिल, (RAJREDCO) 307, पिंक टावर, नेहरू गार्डन के सामने, टोंक रोड, जयपुर
06. उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय/यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर/ पुलिस अधीक्षक–ग्रामीण, जोधपुर
07. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम (उतर/दक्षिण) जोधपुर
08. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
09. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
10. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड/क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको–जोधपुर/बोरानाड़ा
11. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर/ प्रबन्धक (याता.), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
12. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
13. निदेशक– अभियांत्रिकी/नियोजन/वित्त/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. उपायुक्त–पूर्व/ पश्चिम/ उत्तर/ दक्षिण/ मुख्यालय/ उपसचिव/ भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. अधीक्षण अभियन्ता–I/II, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

17. प्रोग्रामर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
18. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
19. ....

(जय नारायण मीणा)
सचिव

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001
email-jdanic-jod-rj@nic.in वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक / बैठक / (E.C) 2022 /   दिनांक :–

संशोधित कार्यवाही विवरण (शुद्धि–पत्र)
(कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 30 सितम्बर 2022)

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक श्री अवधेश मीणा आई.ए.एस आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में दिनांक 30 सितम्बर 2022 को मध्यान्ह पूर्व 11.00 बजे आयोजित की गई। जिसका बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक / बैठक / 2022 / 1691–1710 दिनांक 07 अक्टूबर 2022 को जारी किया जा चुका है।

बैठक कार्यवाही विवरण जारी करने की दिनांक सहवन से 07 सितम्बर 2022 अकिंत हो गया है। जबकि दिनांक 07 अक्टूबर 2022 होना चाहिए था।

अतः दिनांक 07 सितम्बर 2022 के स्थान पर 07 अक्टूबर 2022 पढ़ा एंव समझा जावे।

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

क्रमांक :– बैठक / E.C /2022 / 1712-30   दिनांक :–10 अक्टूबर 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को बैठक में बतौर सदस्य उपस्थित होने हेतुः–

01 अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान,
02 निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय / आयुक्त महोदय), जोधपुर प्राधिकरण, जोधपुर
03 जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर ।
04 प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड , जोधपुर
05 उपाध्यक्ष राजस्थान स्टेटरियल एस्टेट डवलपमेंट काउन्सिल **(RAJREDCO)** 307 पिंक टॉवर, नेहरू गार्डन के सामने टोंक रोड जयपुर।
06 उपायुक्त –पूर्व / पश्चिम / मुख्यालय / यातायात, जोधपुर पुलिस कमिशनरेट, जोधपुर / पुलिस अधीक्षक–ग्रामीण, जोधपुर
07 आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम (उत्तर / दक्षिण), जोधपुर
08 मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
09 मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर।
10 प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड या उनके प्रतिनिधि वरिष्ठ क्षैत्रीय प्रबन्धक, रीको, जोधपुर / बोरानाडा।
11 प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर / प्रबन्धक (याता.) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड , जोधपुर।
12 उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर।
13 निदेशक, अभियांत्रिकी / आयोजना / वित्त / विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
14 उपायुक्त– पूर्व / पश्चिम / उत्तर / दक्षिण / उप सचिव / प्रभारी अधिकारी (भूमि) / प्रभारी अधिकारी **I.T.** , प्रभारी अधिकारी (नीलामी) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
15 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर
16 अधीक्षण अभियनता प्रथम / द्वितीय जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर
17 प्रोग्रामर , जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को मेल आइडी द्वारा सूचना भिजवाने बाबत्।
18. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
19. ....

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Scanned with CamScanner